Diesel-Based Power Projects in Kerala

812. SHRI JOY NADUKKARA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) the diesel-based power projects under construction in Kerala; and

(b) whether there is any ban on new diesel-based power projects; if so, how it will affect the existing units in Kerala, the units under construction and the proposed units to be constructed in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) The Brahmapuram diesel generating power project (5×20 MW) is under construction.

(b) There is no ban on the installation of new diesel-based power projects.

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंक ऋण

813. **श्री रामजी लाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान करने संबंधी मानदण्ड क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऋण कितनी समयावधि में दे दिए जाते हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान अब तक कितने व्यक्तियों द्वारा ऋण के लिए आवेदन किया गया और इन आवेदकों में से कितने व्यक्तियों को ऋण समय पर मिला;

(घ) बाकी आवेदकों को ऋण न मिलने के क्या कारण थे और सरकार द्वारा उन्हें समय पर ऋण रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार इन योजनाओं में सुधार लाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबी प्रसाद पाल): (क) बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एल यू एम ई), प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी-एम आर वाई), स्कावेंजरों की मुक्ति एवं पुनरुद्धार योजना (एस एल आर एस) और विभेदी ब्याज दर योजना (डी आर आई) जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण मंजूर करते हैं। इन सभी योजनाओं के लिए पात्रता के मानदंड विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम देने के मार्गनिर्देशों के अनुसार 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा के सभी आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000/- रुपए से अधिक की ऋण सीमा के आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994-95 के लिए आई आर डी पी, एस यू एम ई, पी एस आर वाई, एस एल आर एस जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:—

योजना का नाम	आवेदनों की संख्या	
	प्राप्त	स्वीकृत
आई आर डी पी	उपलब्ध नहीं	2,18,200*
एस यू एम ई	2,63,009	1,43,619
पी एम आर वाई	3,96,106	1,80,093
एस एल आर एस	49,936	30,465

*आई आर डी पी आंकड़े सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों से संबंधित है। आंकड़े: अनन्तिम।

बैंक उन ऋण आवेदनों को मंजूर करते है, जो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार अर्थक्षम बैंक योग्य एवं पात्र होते हैं। बैंक मंजूरी-पूर्व मूल्यांकन और संवीक्षा के बाद केवल उन मामलों को अस्वीकृत करते हैं, जो पात्रता की शर्तों और परियोजनाओं / प्रस्तावों की आर्थिक सक्षमता / बैंक योग्यता को पूरा नहीं करते। बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से समय पर ऋण प्राप्त करने वाले ऋण आवेदकों की संख्या के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ङ) और (च) सभी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा राज्य स्तरीय

बैंकर्स समितियों जैसे मंचों द्वारा आवधिक अन्तरालों पर की जाती है। पी एम आर वाई / आई आर डीपी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी करने और बाधाओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक निगरानी कक्ष को स्थापना की गई थी ताकि ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता-मानदंड

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

उन लघु एवं सीमान्त किसानों, कृषि-श्रमिकों और ग्रामीण-शिल्पियों के परिवारों को जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 11000/- रुपए से कम है।

(2) शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस यू एम ई)

वे बेरोजगार तथा अल्प-नियोजित शहरी गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 11850 रुपए से अधिक न हो और जो उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से रह रहे हों।

(3) शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एस.आर.वाई.)

18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच ऐसे युवा जो मैट्रिक पास या फेल हो या जिन्होंने आई टी आई पास किया हो या जिन्होंने न्यूनतम 6 महीनों की अवधि का सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया हो और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24000/- रुपए से अधिक न हो तथा लाभदाही के माता-पिता को वार्षिक आय 24000/- रुपए तक हो। आवेदनकर्ता उस क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से स्थायी रुप से रह रहा हो।

(4) सफाई कर्मचारियों (स्कावेंजरो) की मुक्ति एवं पुनरुद्धार योजना (एसएलआरएस) सभी सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित।

(5) विभेदी ब्याज दर (डी आर आई) योजना

पात्रता के लिए उच्चतम आय शहरी या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार 7200/- रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 6400/- रुपए होनी चाहिए। स्वामित्व वाली जमीन के आकार के संबंध में सिंचाई वाली जमीन एक एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए और असिंचित भूमि के संबंध में यह आकार 2.5 एकड़ से अधिक न हो। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए स्वामित्व वाली जमीन का मानदंड लागू नहीं होगा। योजना के अंतर्गत आने वाले ऋणकर्ताओं के महत्वपूर्ण वर्गों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा काफी कम वेतन पर कार्य कर रहे अन्य व्यक्ति कृषि और / या सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे व्यक्ति, वे लोग जो स्वयं वन्य उत्पादों को एकत्र करते हैं या आरम्भिक प्रसंस्करण कार्य करते हैं, वे लोग जो कुटीर और ग्रामीण उद्योगों तथा व्यवसायों में बहुत कम वेतन पर लगे हैं, गरीब योग्य छात्र आदि शामिल है।

सरकार को बैंक ऋण

814. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1995 के तीसरे सप्ताह के दौरान केन्द्रीय सरकार पर विभिन्न बैंकों की ऋण-राशि की मात्रा 25,873 करोड़ रुपये तक हो गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार को किन कारणों में बैंकों से इतनी बड़ी मात्रा में से ऋण-राशि स्वीकार करनी पड़ी थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवी प्रसाद पॉल): (क) से (ग) सरकार (केन्द्रीय व राज्य सरकारों) को दिए गए निवल बैंक ऋण, जिसमें भारतीय रिर्जव बैंक व अन्य बैंकों जैसे वाणिज्यिक और सहकारी बैंक दोनों के द्वारा दिया गया ऋण शामिल है, में 18 अगस्त, 1995 तक 25873 करोड़ रुपये की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है। विवरण नीचे दिए गए है:-

सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में वार्षिक वृद्धि

(करोड़ रुपये)

	20 अगस्त, 1993 से 19 अगस्त, 1994 (अनन्तिम)	19 अगस्त, 1994 से 18 अगस्त, 1995 (अनन्तिम)
सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	14474	25873
क. सरकार को निवल भारतीय रिजर्व बैंक ऋण (i+ii)	-19584	19890